

05.12.2017

आवेदकगण फिरोज खान, श्रीमती नूरजहां एवं सलीम खान द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप0।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 189/17 अंतर्गत धारा-498ए, 34 भा0दं0सं0 एवं धारा-03 एवं 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 415/17 आवेदकगण फिरोज खान एवं श्रीमती नूरजहां का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 का है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 416/17 आवेदक सलीम खां का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकार तीन आवेदकगण के दो प्रथक प्रथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों अग्रिम जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

दोनों जमानत आवेदन के साथ आवेदकगण फिरोज खां एवं सलीम खां के पिता तथा श्रीमती नूरजहां के ससुर आजाद खां के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदकगण के प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। फरियादी पक्ष ने पुलिस मालनपुर से मिलकर आवेदकगण के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। आवेदकगण फिरोज खां एवं श्रीमती आजाद खां की ओर से व्यक्त किया गया है कि वह फरियादिया से प्रथक निवास करते हैं और उनका फरियादिया से कोई संबंध सरोकार नहीं है। फरियादिया आवेदक सलीम के साथ नहीं रहना चाहती है। आवेदक सलीम की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक को परेशान करने के उद्देश्य से फरियादिया द्वारा अपनी मां एवं मालनपुर पुलिस के साथ मिलकर षड़यंत्र करके झूठा फंसाया है। आवेदक सलीम फरियादिया कहे अनुसार अपने परिवार से पूर्व से अलग रह रहा है, किंतु फरियादिया की मायके जाने की जिद के कारण आवेदक के साथ नहीं रहना चाहती है। आवेदकगण की ओर व्यक्त किया गया है कि वे संभ्रान्त नागरिक होकर बाल बच्चेदार एवं मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। पुलिस थाना मालनपुर आवेदकगण को गिरफ्तार करना चाहती है। यदि पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर

रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि फरियादिया साजाना बानो की शादी दिनांक 22.05.16 को अभियुक्त सलीम खां पुत्र आजाद खां के साथ मुस्लिम रिति रिवाज से हुई थी। जिसमें फरियादिया के पिता ने अपनी सामर्थ्य अनुसार तीन लाख रुपए नकद, व जेवर, पल्सर मोटरसाइकिल घर ग्रहस्थी का सामान फ्रिज, डबल बेड, अलमारी, कूलर, पंखा सोफा, सिलाई मशीन आदि दिया था। किंतु उससे फरियादिया के ससुराल वाले पति सलीम खां, जेठ फिरोज खां एवं जिठानी नूरजहां खुश नहीं हुए। फरियादिया शादी के बाद सिर्फ 6 दिन रही थी कि उसी समय तीनों अभियुक्तगण द्वारा दहेज को लेकर उसकी मारपीट की गई थी और कहा था कि कहा था कि अपने पिता से एक लाख रुपए एवं बुलट मोटरसाइकिल तथा सामान लेकर आना तभी इस घर में आना। उसके बाद फरियादिया ससुराल आती जाती रही और तीनों अभियुक्तगण उसे प्रताड़ित करते रहे। फरियादिया द्वारा उक्त सारी बात अपनी मां तथा पिता को बताई थी तो फरियादिया के पिता ने नेनोरा जाकर पंचायत भी लगवाई थी, किंतु तीनों अभियुक्तगण नहीं माने। फरियादिया के पिता के पास पैसे व मोटरसाइकिल नहीं है, जब यह बात फरियादिया ने ससुराली जानों को बताई तो दिनांक 13.10.17 को अभियुक्तगण ने द्वारा फरियादिया को घर से निकाल दिया गया, तब से फरियादिया अपने पिता के घर ग्राम पसा में रह रही है। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया द्वारा दिनांक 11.11.17 को थाना मालनपुर पर की गई।

इस मामले में दिनांक 13.10.17 को घर से निकालना बताया है परंतु दिनांक 11.11.17 को रिपोर्ट की गई है। फरियादिया की कोई मेडीकल रिपोर्ट आदि नहीं है। ओमनीबस आक्षेप है। मारपीट के संबंध में भी ऐसा नहीं है कि किसने किस प्रकार से मारपीट की थी। प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। मामले की संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः दोनों आवेदन स्वीकार किया गए।

अतः आदेशित किया जाता है कि, यदि आवेदक/अभियुक्तगण फिरोज खान, श्रीमती नूरजहां एवं सलीम खां को पुलिस थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 189/17 अंतर्गत धारा धारा-498ए, 34 भा0द0सं0 एवं धारा-03 एवं 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में गिरफ्तार किया जाता है या अभिरक्षा में लिया जाता है तो उनके द्वारा गिरफ्तारकर्ता अधिकारी की संतुष्टि योग्य 30,000/-30,000/- रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि के व्यक्तिगत बंध पत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश कर दिये जाते हैं कि:-

1. आवेदक/अभियुक्तगण अन्वेषण में सहयोग करने के

साथ-साथ मामले की जाँच/विचारण में नियमित उपस्थित होता रहेंगे।

2. अभियोजन साक्ष्य को किसी भी रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, अभियोजन साक्षियों को पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के लिए प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या वचन नहीं देंगे, तो उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जावे।

यदि इन शर्तों का पालन किया जाता है तभी यह आदेश प्रभावी रहेगा। आवेदकगण इस आदेश की दिनांक से 15 दिवस के अंदर विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे, जिसका पालन न करने पर, यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापिस की जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)